

RBE No. 201/2008  
PC VI No. 64

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

Rail Bhawan, New Delhi-110001, dated 26/12/08

No.E(G)2008 LE1/4


The General Manager (P),  
All Indian Railways including  
Production Units etc.

**Sub: Sixth Central Pay Commission Recommendation - Special dispensation in the form of Special Casual Leave to Central Government employees with disabilities.**

Consequent on the recommendation of the 6<sup>th</sup> Pay Commission, that the number of Casual Leave available for employees with disabilities should be 12 days as against 8 days for other employees, the Ministry of Railways have decided that the additional benefit of 4 days leave should be granted in the form of Special Casual Leave. Sanction of the Ministry of Railways is accordingly conveyed for grant of Special Casual Leave for 4 (four) days in a calendar year to Railway employees with disabilities as defined in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, for specific requirements relating to the disability of the official.

These orders take effect from 1<sup>st</sup> September, 2008.

Please acknowledge receipt.

  
(Madan Lal)  
Joint Director/Estt.(Genl.)

No.E(G)2008 LE1/4

New Delhi, dated 26/12/08.

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

  
For FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS

आर बी ई सं. 201/2008  
पी सी IV 64

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी) 2008 एलई1/4

नई दिल्ली, दिनांक: 26/12/08

महाप्रबंधक (कार्मिक),  
सभी भारतीय रेलें  
उत्पादन इकाइयों आदि सहित।

**विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश - अशक्तता वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी के रूप में विशेष छूट।**

छठे वेतन आयोग की सिफारिश कि अशक्तता वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध आकस्मिक छुट्टी की संख्या अन्य कर्मचारियों के लिए 8 दिन की तुलना में 12 दिन होनी चाहिए, के परिणामस्वरूप, रेल मंत्रालय ने विनिश्चय किया है कि 4 दिन की छुट्टी का अतिरिक्त लाभ विशेष आकस्मिक छुट्टी के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। तदनुसार, अधिकारी/कर्मचारी की अशक्तता के संबंध में विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अशक्तता वाले व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में यथापरिभाषित अशक्तता वाले कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 4 दिन का विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करने हेतु रेल मंत्रालय की स्वीकृति दी जाती है।

ये आदेश 01 सितंबर, 2008 से प्रभावी हैं।

कृपया पावती दें।

मदन लाल  
(मदन लाल)

संयुक्त निदेशक, स्था.(सा.)

सं. ई(जी) 2008 एलई1/4

नई दिल्ली, दिनांक: 26/12/08

प्रतिलिपि प्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

उत्प्रेषण  
कृते वित्त आयुक्त/रेलें